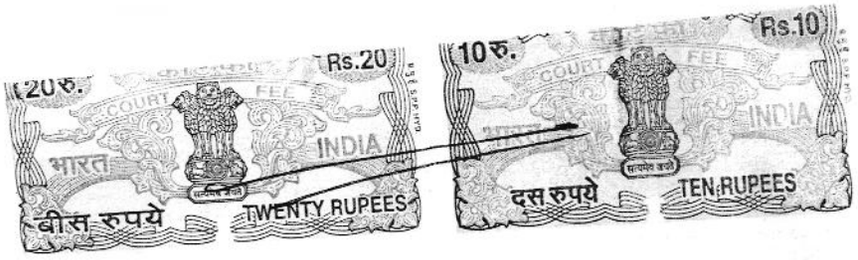

189

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–छतरपुर R 380-I-17.

सतोष कुमार पुत्र श्री मूलचन्द्र पाटकर
निवासी–लवकुशनगर तहसील लवकुशनगर
जिला – छतरपुर (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला–छतरपुर

...... अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 44/2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 23.01.2017 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, तहसीलदार लवकुशनगर के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के पत्र क्रमांक/अनु/अधि/पु./लव/1140/15 दिनांक 11.09.2015 द्वारा शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के संबंध में आवेदन पत्र तथा अन्य आवेदन पत्र थाना प्रभारी लवकुशनगर द्वारा पत्र क्रमांक 1413/15 दिनांक 17.05.2015 द्वारा शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया। साथ ही दैनिक समाचार पत्र राजकीय दुनिया संस्करण दिनांक 23.04.2015 पुलिस की जमीन पर बना दिया गया। मन्दिर और मकान तथा विकास पाण्डे प्रदेश टुण्डे संवाददाता लवकुशनगर द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। कि एस.डी.ओ.पी कार्यालय के लिये महोबा रोड़ पर 67 आरे जमीन दी गयी थीं। मूलचन्द्र पटवा और उसके परिवार ने मिलकर शासकीय भूमि सहित एस.डी.ओ.पी कार्यालय की भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बाउण्ड्री मन्दिर का निर्माण करवा दिया है। जिसे अतिक्रमण से मुक्त कराया जाये।

2– यहकि, उक्त आवेदन पत्र पर एक पक्षीय जॉच की जाकर पटवारी हल्का लवकुशनगर द्वारा अपना प्रतिवेदन इस प्रकार प्रस्तुत किया कि मूलचन्द्र पटवा निवासी लवकुशनगर के विरूद्ध ग्राम लवकुशनगर की भूमि खसरा नं. 627/2 रकवा 1.510 है0 म.प्र. शासन मद बंजर के अंश रकवा 22×22 वर्गफीट पर शंकर जी का मन्दिर 50×60 = 3000 वर्गफीट पर मकान एवं 100×80 = 8000 वर्गफीट में बाउण्ड्री बनाकर तथा खसरा नं. 627/1 के अनुसार अंश भाग

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-380-एक/2017 जिला छतरपुर संतोष विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 44/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 23-01-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 27-01-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 8/1/19
सदस्य